राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक F.32(B)(After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219/713 दिनांक 20 02.2026

मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई–नीलामी आमंत्रण सूचनाः–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2026 दिनांक 27 जनवरी, 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2025–29 में संशोधन के प्रावधानानुसार **मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की** ऑनलाईन ई–नीलामी के लिये विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर निम्नानुसार ई–बोली आमंत्रित की जाती है :–

क. सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	06-03-2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

1. ई–नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई–ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रकियानुसार दिनांक 20.02.2026 प्रातः 11.00 बजे से एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
2. नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. बोलीदाता को कम से कम रू. 10,000/– अथवा रू. 10,000 के गुणांक मे बढाकर बोली लगानी होगी।
4. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नही लगा सकेगा।
5. कलस्टर का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।
6. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक https://iems.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भुगतान द्वारा इस वेबसाईट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगे। ऑनलाईन भुगतान नही होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नही होने के कारण बोली में भाग नही ले पाने के लिये आवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा।
7. प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाईन निलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिर्जव प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।
8. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई–नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तो, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, के अनुसार जमा करानी होगी।
9. निर्धारित समय में वाँछित राशियाँ यथा–धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।
10. वर्ष 2026–27 के पात्र अनुज्ञधारियों को वर्ष क्रमशः 2027–28 व 2028–29 के लिये निर्धारित शर्तो पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।
11. बोलीदाता को ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29 एवं नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा समस्त दिशा–निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।

Signature valid

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner

RajKaj Ref No.: 20653753